amendments, time extensions etc.(-if any) will be hosted on our website on N. Please visit the site regularly. S., Engineer (MM TCB)

E-mail: rakes hakshya@bhelbpl.co.in Phone: 07/52503462/9406903759

THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI (ORIGINAL JURISDICTION
COMPANY PETITION NO. 465 OF 2016
CONNECTED WITH
COMPANY APPLICATION NO. (M) 5€ OF 2016 IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 956 (1 OF 1956) SECTIONS 391 & 394
AND
IN THE MATTER OF SCHEME OF AMAI GAMATION

AND IN THE MATTER OF

STRATFORD ACADEMY LTD

PETITIONER/1 RANSFEROR COMPANY AND

FIITJEE LTD

CPR-10(T)/128/16-17/MM-TCB

F 3

라

7

5

3

3

à

中部部

D

(A)

)2

ूचन के

ी प्रहि

200 ने हुए

शंड

įμ̈́.

रीश र

रेस प्रं री वि

रहने इ. को

। कोई

ई भो

护内理

इ तिस

विरं

13

धाराष्ट्री

(Both the Companies are incorporated under the provision of the Companies Act, 1956 and having their registered office at 29-A, ICES House, S. rvapriya Vihar, Kalu Sarai New Delhi-110 016) ADVERTISEMENT OF PETITIC N

ADVERTISEMENT OF PETITIC N

A Petition under sections 391(2) and 394 of the Compan as Act, 1956, for obtaining sanction of the Hon'ble High Court of Delhi to a Scheme or Amalgamation of Stratford Academy Ltd with FIITJEE Ltd was presented by the Petition is above named on 20th day, of May, 2016 and was admitted on 24th day of May, 2016 and the said Petition is fixed for hearing before the Hon'ble High Court on 23th day of Septimber, 2016 at 10.30 A.M. Any person desirous of supporting or opposing the said Petition is fixed for his intention signed by him or his advocate with his name at address to the Advocate for the Petitioners so as to reach the Petitioners' Advocates to later than 5 days before the date (fixed for hearing of the Petition: Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of the affidavishal be furnished of with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any proportions.

of the Patition will be furnished by the undersigned to any preson requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Ra lev K Goel & Ajay Garg (Ar /ocate) (Advocate Counsel for the Petitioners

Date: 05.07.2016

785, Pocket-E, Mayur Vih. r-II, NH-24, Delhi 110 091

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI ORIGINAL COMPANY JURISDICT: ON COMPANY PETITION NO. 75 OF 2 116 CONNECTED WITH COMPANY APPLICATION (M) NO. 7 0 2016

In the matter of

the Companies Act, 1956 (Lof 1956)

AND

Section 391 and 394 of the of the Companies Act, 1956

AND in the matter of scheme of Amalgamation Of

ACE SECURITIES PRIVATE LIMITED,

(Transferor Company Petitioner Company No. 1) WITH

MANI COMPUSOFT PRIVATE LIMITED

(Transferee Company 2 etitioner Company No.2)
(Both Transferor Company and Transferee Company are incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having their regis ered office at 405, Skylark Building-60, Nehru Place, New Delhi-110019.)

NOTICE

TAKE NOTICE that a Petition under section 391(2) and 3: 4 of the Companies Act, 1956 for obtaining the sanction of the Hon'ble High Court of Delhi at New Delhi to a scheme of Amalgamation of ACE SECURITIES PRIVA E LIMITED with MANI COMPUSOFT PRIVATE LIMITED was presented by the Petilioners above named 29th day of January, 2016 and was listed on 1st day of February, 2016 and the said petition is fixed for hearing before the Hon'ble Company Judge on the 29th day of July, 2016 at 10:30 A.M.

Any person desirous of supporting or opposing the said petion should send notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address to the Advocate for the Petitioners so as to reach the Petitioner's Advocate not later than 5 days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition and a copy of the affidavit should be firmished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Amit Goel, Advocate Goel & Associates

Date: 16/06/2016 Place: New Delhi Corporate awyers & Consultants, Advocates for the Petitioners A-/-2, Navkunj Apartments 87, I.P. E. tension, Delhi - 110062

(1) (1) (1) (1)

in the register of members as on July 01, 2016 for seeking their consent on the Drait Special Resolution under regulation 8 (1) (b) of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 for authorizing to the Board of Directors of the company to Delist the Securities of the Company from all the Stock Exchanges, where the shares of the company are presently listed. Members who have not received postal ballot forms may request for a duplicate copy to the company or alternatively download it from the website of the company i.e. www.mawarpolytex.com or from the websites of the stock exchange i.e. www.bseindla.com.

www.bseindla.com.

The company has also provided the facility of e-voting to its members. A member may exercise the rights to vote through either by e-voting or through postal ballot: It should be noted that voting commence from July 06, 2016, Wednesday at 10.00 A.M and ends on August 04, 2016, Thursday at 5.00 P.M. Duly completed postal ballot forms should reach scrutinizer on or before August 04, 2016, Thursday till 5.00 P.M. Postal ballot forms received after 5.00 P.M of this date will be treated as invalid.

In case of any query/grievance connected with entreated as invalid.

In case of any query/grievance connected with evotings or postal ballot, members may approach M/s Anklt Consultancy Pvt. Ltd. having its office at 60, Electronic Complex, Pardeshipura, Indore, Madhya Pradesh-452010 (Registrar).

The results of the postal ballot would be announced on August 05, 2016, Friday at 5 00 P.M at the registered office of the company and the same would also be available on website of the company i.e. www.mewarpolytex.com.

Provider of the Dead

By Order of the Board For MEWAR POLYTEX LIMITED

Date: July 05, 2016 Place: Udaipur

[B.H. Bapna] Managing Director DIN-00594590

Sr. No.	Name and Addresse(s) of Borrower(s) (A)	Loan amount (Rs.) (B)	Particulars of Mortgaged Property / Properties (C)	Outstanding amount (Rs.)
1.	MR./MRS./M/S 1. M S TRADERS (THROUGH PROPRIETOR) 2. PARUL KOHLI 3. SHIVANGI KOHLI 5. SUDERSHAN KUMAR KOHLI AII At: SHOP NO-17 LSC M-BLOCK VIKASPURI NEW DELHI-110018. AII Also At: M-165 (PLOT NO.165, BLOCK-M), situated at VIKASPURI, NEW	Loan Account No. HLAPBHW09220593 for an amount of Rs. 2;49,00,000/- (Rupees Two Crore Forty Nine Lakh(s) Only)	M-185 (PLOT NO.185, BLOCK-M), situated at VIKASPURI, NEW DELHI – 110018.	Rs. 2,70,04,944/- (Rupees Two Crore Seventy Lakh(s) Four Thousand Nine Hundred Forty Four Only) as on 11.08.2016 along with tuture interest @ 12.50% Per Annum w.e.f. 12.08.2016 till actual date of payment.
	Ali Also At: SHOP NO.17, GROUND-FLOOR, LSC, M-BLOCK, VIKAS PURI, NEW DELHI-110 018. 2. PARUL KOHLI 3. SHIVANGI KOHLI 4. KIRAN KOHLI 5. SUDERSHAN			
	KUMAR KOHLI Also At: 8-104, NARAINA VIHAR, NEW DELHI - 100028. Also At: 5-106, SECOND			

That the above named borrower(s) have failed to maintain the financial discipline in loan account and as per the books of accounts maintained in the ordinary course of business by the Company, there exists an outstanding amount indicated in column D against the name of seach borrower(s). each borrower(s).

cach borrower(s).

Due to persistent default in repayment of the Loan amount on the part of the Borrower(s) the loan account of the Borrower(s) has been classified by the Company as Non Performing Asset within the stipulated norms. Consequently notices under Sec. 13(2) of the Act were also issued to each of the borrower.

In view of the above, the Company hereby calls upon the above named Borrower(s) to discharge in full his/heir liabilities towards the Company by making the payment of the entire outstanding dues indicated in Column D above including up to date interest, costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, falling which, the Company shall be entitled to take possession of the Mortgaged Property mentioned in column C above and shall also take such other actions as is available to the Company in law.

That please be informed that the Borrower(s) are hereby restrained from alienating (including by wayof transfer, sale, lease or otherwise) or creating third party interest or dealing with the Mortgaged Property in any manner except with specific prior written permission from Company, Be informed that any contravention thereof shall be punishable with imprisonment upto a period of one year or with fine or with both.

For Indiabulls Housing Finance Ltd. Authorized Officer

Place : DELHI

CP. 75/0f 2016

गिरफ्तारी पर मुआवजे की याचिका जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 5 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के अक्षरधाम आतंकी हमले के मामले में शीर्ष अदालत हारा बरी किए जा चुके छह लोगों की उस याचिका पर विचार करने से मंगलवार को हैनकार कर दिया जिसमें मांग की गई है कि उनकी गलत गिरफ्तारी के लिए मुआवजा दिया जाए। त्यायमूर्ति दीपक मिश्र और त्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने कहा कि अगर बरी किए गए लोगों

को गलत तस गिरफ्तारी के लिए मुआवरं की मांग को स्वीकार किय जाता है, तो खतरनाक मेसाल बन जाएगी बिरी कि गए लोगों की तरफ से वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने पीः का मिजाज ु भांपने के बाद २ चिका वापस ले ली । और कहा कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए गुजरात पुलिस के खिल क मामला शुरू कर सकते हैं इससे पहले गुजरात सरकार । याचिका का

विरोध करते हुए कहा था कि हतोत्साहित करने वाला अस्तर जांच एजंसियों पर गंभीर पडेगा।

समक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (मूल कम्पनी न्यायक्षेत्र) याचिका संख्या २०१६ का ७५ जो कि संबंधित है

कम्पनी आवेदन संख्या 2016 का 7(एम) से

म्पनी अधिनियम् १९५६ (१९५६ का १) क्षे मले में और

न्पनी अधिनियम, 1956 हो धारा 391 एवं 394 के मामले में 3117

। संक्यूरिटिज प्राइंवट जिम्हेटेड

(हस्तांतरणकर्ता कम्पनी / याचिकाकर्ता कम्पनी सं0 1) एवम

ो कम्प्यूसॉफ्ट प्राईतेट लिमिटेड

(हरतांतरिती कम्पनी / याचिकाकर्ता कमानी सं0 2)

क एकीकरण योजना के मामले में नो हस्ताहरणकर्ता और असमंतरिती कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 क आधानों के र्गंत िमामित कंपना है और इनका पंजीकृत कर्ध्मालय 405, रकाईलार्क बिल्डिंग-60, क प्लेस, नई दिल्ली—11(4)19, में स्थित है)

ात किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएँ 39 एवं 394 के तहत ऐस यूरिटिज प्राईवेट लिमिटेल एवं मनी कम्प्यूसॉगट प्राईवेट लिमिटेड के एकीकरण की पूराटक प्राइयट क्लामटक एवं गया कन्यूकान अवस्थान होता है। ना के माननीय दिस्ली उच्च न्यायालय की स्त्रीकृति प्राप्ति हेतु उपरोक्त नामित या काकतोओं द्वारा दिनांक 29.01.2016 को एक यागिका प्रस्तुत की गई और यह दिनांक 01 2.2016 को सूचीवद्ध को गई थी और यह यापिका दिलाक 29.07.2016 को पुर्वाहन 10) बजे माननीय कंपनी व्यायाधीण के समक्ष सुगवाई के लिए निधारित है।

याचिका के समर्थन या निरोध के इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपने नाम और पते के साथ या अपने अधिववदा। ह रा हस्ताक्षरित अपने आशाय की सूचना याचिकाकर्ता के (3) कता को इस तरह से भेज ताकि वह याचिकाकता के अधिवक्ता के पास याचिका की जा का का कर तरह हा एवं सावर कर बावकावरा के जानकात के सुद्ध सुद्ध सुद्ध के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम गाँच (5) दिन पुर्व पहुँच जाए।

आह नकता होने पर याचिका की एक प्रति नियत शुरूक का भुगतान होने पर उपलब्ध

> हरता / अमित गोथल, अधिवक्ता गोयल एण्ड एसोसिएट्स कारपोरेट लॉयर्स एण्ड कंसलटेंट्स याधिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, ए-42, नवकुंज अपार्टभेंट्स, एक्सटेंशन, दिल्ली--110092 87, आई. पी.

गुमशुदा की तलाश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम नावल सिंह, पुत्र रिशाल सिंह, पता गांव पछरा, थाना तोनिका सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जो 09.05.16 को थाना क्षेत्र शाहबाद डेयरी, दिल्ली से गुम है। इस बाबत डीडी नं 16-ए दिनांक 28.05.16 थाना शाहबाद डेयरी, दिल्ली में दर्ज है। अनेक प्रयासों के बावजूद भी इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल

सकी है। ब्योरा इस प्रकार है: नाम: नावल सिंह, उम्रः 5 साल, कदः 5'5", रंगः सावला, चेहराः गोल, पहचानः जिसके द हिने हाथ के अंगुठे पर कटे का निशान है। जिसने आसमानी रंग की कमीज, काले रंग की पैंट और काले रंग की प्लास्टिक चप्पल पहन खी है। अगर इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले तो इसकी सूचना थाना शाहबाद डेयरी, दिल्ली को दें।

इंगल: cic@cbi.gov.in फिस नं. 011-24368639 फोन नं. 011-24368638, 24368641

DP/8466/OD/16

थानाध्यक्ष यरी, दिल्ली शाहबाद दिल्ली फोन न. 011-278210 7, 27822207

दिनाः ।: 16.06.2016

नई दिल्ली

7137

बैंक ऑफ़ इंडिया BC

नई - 110 087

अधिनियः 13(4) के अन्तर्गत प्रतिमूलिंडेत (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के सांकेतिक कब्जा सूचना

सांकैतिक कब्जा सूचना
जबकि अधोहरताक्षरी ने कि य परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, का प्रविच्यों के अंतर्गत निम्नित खित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, का शिवचों के अंतर्गत निम्नित खित किया आप 13(2) के अधीन प्रदत्त शांचित्यों के अंतर्गत निम्नित खित विनाकों को जारी किया था जिसमें पूचना में कर्जिया राशि का उक्त सूच । की तिथि से 60 दिनों के अंद प्रति भुगतान करने के कहा गया था।
जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहरताक्षरी ने इसमें ''भे वर्षित क्या जाता है है इसिलिए एतदहारा कर्जवारों / गारन्टरों / बंधककर्ता तथा आम साथ पठित के अधीन जन्हे प्रत । शक्तियों के इस्तेमाल के अन्य ने तिम्मिकित दिनाकों को लिया है।
साथ पठित के अधीन जन्हे प्रत । शक्तियों के इस्तेमाल के अन्य ने तिम्मिकित दिनाकों को लिया है।
विशेष रूप से कर्जवारों / गार 'रो' बंधककर्ताओं तथा जनसाथण को एतदहारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है
तथा संपत्ति के साथ कोई भी न देन वैंक ऑफ इंडिया, एन-6. जीरा बावा शाखा, लाई विक्ली, के प्रभार बकाया राशि दिनांक 19.04.2016 तक

	कर्जदार के ना।	-0.0			
	श्री संजय अरोडा	अपित का विवरण	मांग सूचना तारीख सांकेतिक कब्जा की तारीख	बकाया राशि (रू. में)	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	पुत्र रव. श्री पूरन चंद आ डा फ्लैट नं. बीए 229/1, 4 जल, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली 110027 श्री संजय अरोडा पुत्र स्व. श्री पूरन चंद अरोडा फ्लैट नं. बीए 229/2, प्रथम तल, (छत के अधिकार सहित)	साम्यिक बंधक भम्पति नं ब्लॉक बीए एलआईजी पलैट नं बीए-29/1, मूतल, टैगोर गाउँन, नई दिल्ली—110027 चौहरी: उत्तर में — प्लॉट नं बीए-228, दक्षिण में — प्लॉट नं बीए-230, पूरव में — पोड़ पश्चिम म — प्रवेश द्वार साम्यिक बंधक भम्पति नं ब्लॉक बीए एलआईजी प्लैट नं बीए-221/2, प्रथम तल, (छत्त के अधिकार सहित), टैगोर गाउँम, नई दिल्ली—110027, चौहरी: उत्तर में — प्लॉट नं बीए-228, दक्षिण में — प्लॉट नं बीए-230, पुरव में — रोड पश्चिम में स्वीए-230, पुरव में — रोड पश्चिम में स्वीए-230, पुरव में — रोड पश्चिम में स्वीए-	19-04-2016	₹ 2.92.98 499 17	
			27-06-2016	ादनाक 19.04.2016 तक साथ में भविष्य का ब्याज, खर्ची और अन्य प्रभार	
			10 04 2010	इत्यादि सहित ₹ 2,92,98,499.17	
			27-06-2016	दिनांक 19.04.2016 तक साथ में भविष्य का ब्याज, खर्चों और अन्य एमार	

ओवरसीज बैंक

D)2 के नियम 8 (1) के अंतर्गत सुधना

के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय ॥ प्रतिभृति व्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ,2002 के नियम 8 के साथ पिटत धारा 13 ता हुए कर्जदार मैं, राज वायर्स को नोटिस में हरेगेड़ उनतीस लाख उनचाय हजार चौदह तथा नोटिस के प्राप्त होंगे के 60 दिनों के भीतर ं में. स्वास्तिक इंडस्ट्रीज की मोटिस में वर्णित भीश करोड़ विरानवे लाख तीन सौ इकतालीस टेरस प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर करने के हिंधी किया था।

रण्डमे पर एतद्द्वारा कर्जदार को तथा आमतीर 6 की गुलाई माम के दूसरे दिन कथित नियमों रवाग (३ (४) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों वकट्या कर लिया है। कर्जदार को विशेष रूप में कोई भी लेन देन न करने के लिए सावधान भी लेन-देन 25,29,49,014.07 (पन्चीस पैक्षेस सात मात्र) तथा उस पर ब्याज सहित मै. इंड निरानने लाख तीन भौ इकतालीस तथा पैसे विकार् में प्राणितक इंटारीन के लिए हें हिंगून